IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 of 2024

IN THE MATTER OF:

JAGAT SINGH …..Applicant

Versus

STATE OF UP. & ANR …Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1	COMPLIANCE REPORT AND REPLY ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS IN OA NO. 94/2024, JAGAT SINGH VS. STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS	1 - 14
2	A true copy of letter number 258/L-193/24, dated 24.06.2024, is annexed here as ANNEXURE - 1.	15
3	A true copy of the photographs of the wall is annexed here as ANNEXURE - 2.	16
4	A true copy of the FIRs photocopy is annexed herewith as ANNEXURE - 3.	17 - 24
5	A copy of the relevant Government Order is annexed here as ANNEXURE - 4.	25 - 26
6	A true copy of Documentation of this ongoing communication and cooperation is annexed here as ANNEXURE - 5.	27 - 32

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Standing Counsel for the State of UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 of 2024

IN THE MATTER OF:

JAGAT SINGH …..Applicant

Versus

STATE OF UP. & ANR …Respondent(s)

COMPLIANCE REPORT AND REPLY ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS IN OA NO. 94/2024, JAGAT SINGH VS. STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS

That in compliance with the order dated 03.07.2024, passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of OA No. 94/2024 Jagat Singh vs. State of Uttar Pradesh and Others, the following actions have been taken by Chief Engineer Irrigation and Water Resources Department, State of UP on behalf of Principal Secretary Irrigation Department.

1. That the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the vide order dated 03.07.2024,

   " *5. Tribunal also constituted a joint committee comprising representatives of Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter*

referred to as 'UPPCB') and District Magistrate, Gautam Budh Nagar with a further direction to the said committee to undertake visit to the site, look into grievance of applicant, associate stakeholders, verify factual position and submit report after taking appropriate remedial action by following due process of law.

6. None of the above respondents have submitted any response till date.

7.Joint committee report dated 28.06.2024, however, has been filed vide email dated 29.06.2024 their inspection on 24.06.2024. The inspection report dated 24.06.2024 is appended and observations made in the said report are as under:-

"निरीक्षण के दौरिा पाया गया नक निकायती पत्र मेंउल्लिल्लित ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर की उक्त भूनम एक ही स्थल पर है, जो आपस मेंनमली हुई है। नजस स्थल पर कायय नकया जा रहा हैवह कृ नि भूनम है एवं यमुिा डू ब क्षेत्र के अन्तगयत है। निरीक्षण के दौरिा पाया गया नक उक्त स्थल पर जिो हेतुमागय पर लोहे के पाईपों सेतैयार अवैध रूप सेकी गयी बैरीके न ंग की गयी है नजसेतालेके माध्यम सेबन्द नकया गया था व िलिे हेतुकोई प्रनतनिनध उपल्लस्थत िही था। निरीक्षण के समय मै ेररयल लिोव लेजिोवालेवाहिो का आवागमि हेतुइसी मागय का प्रयोग नकया जाता है। सनमनत द्वारा तालेको तोड़ कर स्थल मेंप्रवि नकया गया। निरीक्षण के दौरिा स्थल पर पत्थर, सी० एण्ड डी० वेस्ट, स्टिो डस्ट, स्टिो सैड, बदरपुर बडी मात्रा मेंभण्डाररत पायी गयी व जल

दोहि हेतु बोरवेल भी स्थानपत पाये गये। निरीक्षण के दौरि पत्थर नपसाई, क ाई एवं धुलाई हेतुकोई प्लान्ट मिमीरी स्थानपत व काययरत िही पायी गयी तथा कोई कमयचारी उपल्लस्थत िही पायेगये। निरीक्षण क दौरि संयुक्त सनमनत द्वारा निणयय लेतेहुयेपररसर को जिोवालेबैररके न ंग गे को सील नकया गया व निणयय नलया गया नक भण्डाररत पत्थर, सी० एण्ड डी० वेस्ट, स्टिो डस्ट, स्टिो सैड, बदरपुर का सवेएवं मापि कर उक्त पर जुमायिा अनधरोनपत करि की काययवाही नजला मििि अनधकारी द्वारा सम्पानदत करते हुये आख्या नजलानधकारी, गौतमबुद्ध िगर को प्रेनित की जायेगी।

निकायत में ग्राम चकबसन्तपुर एवं ग्राम असगरपुर के वनणयत िसरा संख्या तथा मौके पर पायेगये िसरा संख्या के भूस्वानमयों का नचन्हीकरण करते हुयेआवश्यक काययवाही नकये जिो की काययवाही राजस्व नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जिाा अपेनक्षत है। निरीक्षण के समय स्थल पर पाये गये बोरवेल को नचल्लन्हत कर उिको सील एवं आिवश्यक काययवाही उ०प्र० भूगभय जल नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जिाा अपेनक्षत है। पुस्ता की बाउण्ड्र ी को विविन्न स्थलो ों पर तोड़ कर डू ब क्षेत्र में प्रिेश वकये जाने हेतु मार्ग बना वलये र्ये है, अवैध मागो को नचल्लन्हत कर उन्हे बन्द कराये जिो की काययवाही नसचाई नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जिाा अपेनक्षत है। निरीक्षण के दौरि पररसर को जिो वाले रास्तेमेंस्थानपत गे को सील की निगरििी पुनलस नवभाग एवं क्षेत्रीय लिपालों द्वारा की जायेगी, नजससे नकसी तरह से मै ेररयल को ह ाया ि जा सके । सुपुदयगी पत्र

आख्या के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरि नलयेगयेफो ोग्राफ निम्नवत् है- िण्ड्ाररत पायी र्यी ि जल दोहन हेतु बोररि ी स्थावपत पाये र्ये। निरीक्षण के दौरि पत्थर नपसाई, क ाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट र्मिीरी स्थानपत व काययरत िही पायी गयी तथा कोई कमयचारी उपल्लस्थत िही पाये गये। निरीक्षण के दौरि संयुक्त सनमनत द्वारा निणयय लेतेहुये पररसर को जिोवालेबैररके नडंग गे को सील नकया गया व वनर्गय वलया र्या वक िण्ड्ाररत पत्थर, सी० एण्ड् डी० िेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर का सि एिैं मापन कर उक्त पर जुमागना अविरोवपत करने की कायगिाही वजला खनन अविकारी द्वारा सम्पावदत करते हुये आख्या वजलाविकारी, र्ौतमबुद्ध नर्र को प्रेवित की जायेर्ी। निकायत में ग्राम चकबसन्तपुर एवं ग्राम असगरपुर के वनणयत िसरा संख्या तथा मौके पर पाये गये िसरा संख्या के भूस्वानमयों का नचन्हीकरण करते हुये आवश्यक काययवाही नकये जिो की काययवाही राजस्व नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जािा अपेनक्षत है। वनरीक्षर् के समय स्थल पर पाये र्ये बोररि को नचल्लन्हत कर उिको सील एवं आिवश्यक काययवाही उ०प्र० भूगभय जल नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जािा अपेनक्षत है। पुस्ता की बाउण्डर ी को नवनभन्न स्थलों पर तोड़ कर ूब क्षेत्र मेंप्रवि नकयेजिोहेतुमागय बिा नलये गये है, अवैध मागो को नचल्लन्हत कर उन्हे बन्द कराये जिो की काययवाही नसचाई नवभाग, गौतमबुद्ध िगर के पदानधकाररयों द्वारा सम्पानदत नकया जािा अपेनक्षत है। निरीक्षण के दौरि पररसर को जिो वाले रास्ते में स्थानपत गे को सील की निगरािी पुनलस नवभाग एवं क्षेत्रीय लेिपालों द्वारा की जायेगी, नजससे नकसी तरह सेमै ेररयल को ह

ाया ि जा सके । सुपुदयगी पत्र आख्या के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरिा नलयेगयेफो ोग्राफ निम्नवत् है-

िरीक्षण के दौरिा संज्ञाि मेंआया नक उक्त स्थल अनतररक्त सेक्टर *94* िएडा के अन्तगयत ग्राम िौरंगाबाद िदर के डू ब क्षेत्र मेंभी उक्त कायय नकया जा रहा है। तत्क्रम मेंसंयुक्त सनमनत द्वारा उक्त स्थल का भी निरीक्षण नकया गया। निरीक्षण के दौरिा स्थल पर पत्थर, सी० एण्ड डी० वेस्ट, स्टिो डस्ट, स्टिो सैड, बदरपुर बडी मात्रा में भण्डाररत पायी गयी तथा निरीक्षण के दौरिा पत्थर नपसाई, क ाई एवं धुलाई हेतुकोई प्लान्ट िमीरी स्थानपत व काययरत िही पायी गयी व कोई कमयचारी उपल्लस्थत िही पाये गये। तत्क्रम में ग्राम िौरंगाबाद िदर के डू ब क्षेत्र में भी उपरोक्तिुसार नवभागावार काययवाही नकये जािे का निणयय नलया गया। निरीक्षण के दौरिा नलयेगयेफो ोग्राफ निम्नवत् है- मा० राष्ट्रीय हररत आनथयकरण, िई नदिी मेंनवचाराधीी ओ०ए० सं० १५*/2024* जगत नसंह बिाम *3*० प्र० राज्य पाररत आदि के संम्बन्ध मेंगनित संयुक्त सनमनत स्थल का द्वारा व अन्य मेंवाररत आदि नदिांक *24.4.2024* नजला आनधकारी गौतमबुद्ध ≏ द्वारा आज नदिांक *24/06/2024* नक सुबह मेंनिकायती निरीक्षण नकया गया वनरीक्षर् के दौरान स्थल पर बडी मात्रा में स्टोन, सी० एड०डी० िस्ट, वपसाई वमया मण्ड्ाररत पाया र्या र्य। स्टिो डक्ट बडी मात्रा मेंस्थल पर कोई प्लान्ट िमीरी िही ं थाई गयी । निरीक्षण के दौरिा काययस्थल हेतु बिाए गए गे को सनमनत द्वारा सील कर नदया गया है तथा उक्त की निगरिी पुनलस नवभाग को सुययद कर नद गयी स्थल निकायत में उलेल्लित स्थल ग्राम*'*, असगरपुर व चक बसन्तपुर पहुिा इब क्षेत्र*)"*

8. It is also said in the report dated 28.06.204 that District Magistrate, Gautam Budh Nagar has issued various directions vide letter dated 24.06.204 to Police Commissioner, Gautam Budh Nagar, Sub Divisional Magistrate, Sadar and Dadri, District Gautam Budh Nagar, Executive Engineer, U.P, Ground Water Department District Gautam Budh Nagar, District Mining Officer, Gautam Budh Nagar and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Budh Nagar. It is also said that in the course of inspection, seven bore-wells were found operating which have been sealed and electric connections have been disconnected.

9. However, we do not find that any criminal action has been taken against persons engaged in above illegal activities and no steps have been taken to impose and recover environmental compensation by UPPCB, though admittedly, illegal activities of mining, stone crushing and extraction of ground water have been found."

2. That a Joint Committee was constituted in compliance with the order dated 23.04.2024 as per the directives of the Tribunal, comprising representatives from the Irrigation and Water Resources Department, UPPCB, and the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar. The committee conducted an on-site inspection on 24.06.2024, which revealed the presence of illegal activities as detailed in the inspection report.

3. That during the inspection, it was observed that the lands mentioned in the complaint were situated in the floodplain area of the Yamuna River. Illegal barricading for transportation was found, and large quantities of stone crushing and demolition waste, and other materials were stored at the site. Several unauthorized borewells were also found to be operational.
4. That in compliance with the order dated 24.04.2024 from the Honorable National Green Tribunal, New Delhi, a committee was duly constituted by the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar's letter dated 09.05.2024, under the chairmanship of the Additional District Magistrate (V/R), Gautam Buddha Nagar. The committee promptly undertook the necessary actions, with decisions from meetings held on 28.05.2024 and 12.06.2024 communicated to the Police Commissioner, Gautam Buddha Nagar. Subsequently, an on-site inspection was conducted by the joint committee on 24.06.2024 at 5:30 a.m. at the specified locations in the villages of Asgarpur and Chakvasantpur, Noida. The inspection team included officials from various departments, who discovered unauthorized barricading at the site, facilitating illegal transportation of materials, and significant quantities of construction and demolition waste stored unlawfully. Additionally,

several borewells were found to have been installed for the illicit extraction of groundwater.

5. That it is respectfully submitted that, in connection with these findings, it is pertinent to mention that the complainant, Shri Jagat Singh, was contacted by the Station House Officer (SHO) of Sector-126, Gautam Buddha Nagar, via his mobile number, and was requested to be present at the site to identify the specific locations of the violations. However, the complainant declined to attend. Subsequent to the on-site inspection, the District Magistrate of Gautam Buddha Nagar issued directives through Letter No. 255/L-193/24, dated 24.06.2024, wherein the Police Commissioner was instructed to direct the SHO of the relevant jurisdiction to immediately seal the site where these illegal activities were taking place. That the above-mentioned averments are already on record as per the report filed by the joint committee, report dated 28.06.2024.

6. Furthermore, it is pursuant to the inspection findings, the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, issued another directive through Letter No. 258/L-193/24, dated 24.06.2024, ordering the immediate closure of the roads that had been unlawfully constructed by breaching the boundary walls. These roads were being utilized for unauthorized vehicular traffic, and their closure

was enforced without delay. A true copy of letter number 258/L-193/24, dated 24.06.2024, is annexed here as **ANNEXURE - 1.**

7. That in accordance with the directives issued by the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, it is hereby reported that the Irrigation Department of Uttar Pradesh has undertaken the construction of a roadway at the site identified for illegal mining activities. This roadway has been primarily utilized by local farmers for the transportation of agricultural produce and cremation in a crematorium.

8. That it is pertinent to mention here that to ensure that the road is used exclusively for agricultural purposes and to prevent its misuse by heavy vehicles, such as JCBs and dumpers, the width of the roadway has been significantly reduced by constructing an RCC wall. This modification restricts the passage of larger vehicles, thereby ensuring that the road remains accessible only for light agricultural transport, such as bullock carts (Buggi) and similar conveyances. A true copy of the photographs of the wall is annexed here as **ANNEXURE - 2.**

9. Furthermore, it is pertinent to mention here that the Irrigation Department has, on various occasions, has taken criminal actions against the illegal activities by lodging First Information Reports

(FIRs) as part of its ongoing efforts to curb and prevent the aforementioned illegal activities. The department is very rigorous on any illegal activity and has expedited the action to report the same. The concerned district magistrate Gautam Buddha Nagar is expected to take criminal action towards the Violators. A true copy of the FIRs photocopy is annexed herewith as **ANNEXURE - 3.**

10. That it is pertinent to mention here that the location referenced by the complainant falls within a designated floodplain area. It is important to highlight that, according to the Master Plan 2031 for the Noida Development Area, this floodplain area has been classified under the River Front Development Zone and is a notified jurisdiction of the Noida Authority.

11. That it is furthermore, submitted that as such, the primary responsibility for the demolition and removal of illegal encroachments and unauthorized constructions within this submergence area lies with the Noida and Greater Noida Development Authorities. This is in accordance with the applicable government regulations. A copy of the relevant Government Order is annexed here as **ANNEXURE - 4.**

12. That it is pertinent to mention here that with respect to the encroachments and illegal activities occurring within the submergence area, it is pertinent to state that the Irrigation

Department of Uttar Pradesh has consistently communicated with the relevant authorities and departments, apprising them of these violations. Furthermore, the Department has provided full cooperation to these entities in addressing and mitigating such unlawful activities. A true copy of Documentation of this ongoing communication and cooperation is annexed here as **ANNEXURE - 5.**

13. That it is respectfully submitted that the respondents are committed to fully complying with the orders of this Hon'ble Tribunal and ensuring that all illegal activities in the submerged area are effectively curbed. Regular monitoring and coordination with the relevant authorities will continue to ensure that the directives of the Tribunal are adhered to.

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Standing Counsel for the State of UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

RAKESH KAUSHAL Area DELHI Regn. No 1082 Valid Up to 7-1-2026 GOVT. OF INDIA NOTARIAL NOTARY

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 94 of 2024

IN THE MATTER OF:

JAGAT SINGH. **Applicant**

Versus

STATE OF UP. & ANR.

... Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, Dinesh Kumar panduval, son of Sh. Krishna Sahai, aged 59 years residing at Canal Colony, Okhla New Delhi-110025, currently serving as the Chief Engineer (Yamuna), Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath on behalf of Principal secretary of Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh as under:

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon approved Response by principal secretary of Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh.

GOVT. OF INDIA RAKESH KAUSHAL Area DELHI Regn. No 1082 Valid Up to 7-1-2026 NOTARY

17 AUG 2024

3. That the contents of the accompanying Affidavit are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 17 day of AUGUST 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area. DELHI
Regn. No 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

ATTESTED

Notary Public, Delhi

17 AUG 2024

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः- 250/L-193/24 दिनांकः-24-06-2024

अधिशाषी अभियन्ता
सिचाई विभाग,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है तथा उक्त के परिवहन हेतु पुस्ता दीवार/बाउण्ड्री को तोड़कर अवैध रूप से रास्ते बनाये गये है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर, ग्राम नौरंगाबाद खादर क्षेत्र में पुस्ता दीवार/बाउण्ड्री को तोड़कर अवैध रूप से बनाये रास्तों को तत्काल बन्द किया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आख्या ससमय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है।

24.6.24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annex 2

ANNEXURE - 2

ANNEXURE - 3 (संलग्नक - 3)
A-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर
P.S. (थाना): नौएडा सैक्टर-39 **Year (वर्ष):** 2021
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0951
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 20/12/2021 23:49

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	277
2	भा दं सं 1860	432

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 20/12/2021 **Date To (दिनांक तक):** 20/12/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**

Date (दिनांक): 20/12/2021 **Time (समय):**23:49 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 091 **Date & Time (दिनांक और समय):** 20/12/2021 23:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9560385660

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 2

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सुभाष चौहान		पिता का नाम : श्री सुनेहरी	1. छलैरा बांगर,दादरी,नौएडा सैक्टर-39,कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	गजराज नागर		पिता का नाम : श्री हरिशचन्द्र	1. तिगांव,फरीदाबाद,फरीदाबाद, हरियाणा,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवामें श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना सैक्टर 39 नोएडा थाना सैक्टर 39 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर महोदय,निवेदन है कि ग्राम नौरंगाबाद खादर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (सेक्टर 94 शमसान घाट के पीछे) यमुना नदी के डूब क्षेत्र में आज दिनांक 20.12.2021 को शाम 7.30 PM श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के भ्रमण के दौरान अवैध रूप से बदरपुर की धुलाई होते हुये पायी गयी। जिसका गन्दा पानी यमुना नदी में डाला जा रहा था। मौके पर मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नौरंगाबाद खादर तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर के खसरा न0 106,107 व 111 में श्री सुभाष चौहान पुत्र स्व0 श्री सुनेहरी निवासी ग्राम छलैरा बांगर तहसील दादरी

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):   District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Rajeev Kumar
Rank SI (Sub-Inspector)
No. 970710031

(संलग्नक - 3)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर
P.S. (थाना): सेक्टर-126
Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0123
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 14/07/2023 21:15

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	269
2	भा दं सं 1860	270

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 14/07/2023 Time (समय):22:09 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 050 Date & Time (दिनांक और समय): 14/07/2023 22:09 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5: Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 05 किमी   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम नौरंगाबाद व ग्राम ,असगरपुर में यमुना किनारे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुभाष चन्द्र   सींचपाल
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,औखला नई दिल्ली 25 ,कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,औखला नई दिल्ली 25 ,कमिश्नरेट

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	स्थायी पता	गौतमबुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9560385660

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाईपशुदा.......... सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, थाना सेक्टर- 126 नोएड़ा महोदय, निवेदन है कि यमुना मार्जिनल तटबन्ध के ग्राम नोरगाबाद खादर (शमशान घाट के पास) यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र में अवैध रूप से रोडी, बदरपुट, पत्थर आदि की क्रैसर द्वारा पिसाई/ धुलाई कर गन्दा पानी यमुना नदी में डाला जा रहा एवं ग्राम असगरपुर के सामने यमुना तटवर्थी बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र में अवैध रूप से रोडी, बदरपुट, पत्थर आदि की क्रैसर द्वारा पिसाई/ धुलाई कर गन्दा

पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है। जिसको मौके पर जाकर कई बार रूकवाया एवं समझाया कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र सं0-89/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 20.05.2013 की तरफ आकृष्ट करना है, जिसके द्वारा डूब क्षेत्र में यमुना नदी में गन्दा पानी डालना एवं निर्माण कार्य करना पूर्णतः प्रतिबन्ध है। नाम पता पूछने पर नाम नही बताते है देर सवेर में पिसाई / धुलाई का कार्य करते है पूर्व में भी दिनांक 10.04.2023 को उक्त अवैध कार्य को रूकवाने एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु तहरीर दी गई। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त ग्रामों के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें Sd अंग्रेजी अपठित 14.07.23 (सुभाष चन्द्र) सीचपाल हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, औखला नई दिल्ली 25 9560385660 , sd अंग्रेजी अपठित 14.07.2023 (रंजीत निर्मल) जिला खनन अधि गौतमबुद्धनगर sd अंग्रेजी अपठित जिलेदार तृतीय हैड़ वकर्स खण्ड़ आगरा नहर ओखला नई दिल्ली 25 , sd अंग्रेजी अपठित 14.07.23 कुलदीप सिंह सहायक अभियन्ता है0व0ख0 आगरा नहर ओखला नोट- मै का0 1606 अंकुर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त तहरीर का रो0आम में मेरे द्वारा खुलासा कर सीसीटीएनएस पर शब्द ब शब्द एफआईआर किता की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SURENDRA SINGH **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 0900040016 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):   District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name AJAY SINGH CHAHAR
Rank I (Inspector)
No.

संलग्नक-4
A-4

संख्या-1417बी-27-सि-2-181बाढ़/0[illegible]

प्रेषक

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2. प्रमुख सचिव
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन

3. प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

4. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5. प्रमुख सचिव
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

6. प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

7. प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

8. प्रमुख सचिव
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

9. प्रमुख सचिव
सिंचाई एवं बाढ़
नियंत्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

10. पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

11. अध्यक्ष
जल निगम,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2010

सिंचाई अनुभाग--2

विषय : नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण
बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर
बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-
माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये
गये हैं तथा आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1773/9-आ-1-1995,
दिनांक 18 मई, 1995 एवं शासनादेश संख्या-2432/9-आ-1 अतिक्रमण/2003 (आ.ब.), दिनांक
04 अप्रैल, 2003 से भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों
द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/
अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु [illegible] अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उनमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया [illegible] कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों की अधिसूचना करते हुए [illegible] [illegible] के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू०पी० फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट--1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन मे अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्त्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाये।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1417बी(1)/09–27–सिं–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. सिंचाई अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

86
संलग्नक-5
A-5

सेवा,

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रति,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सैक्टर–6, जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /है0व0खं0/ दिनांक 2022

विषय– जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्राम रायपुर खादर के पास डूब क्षेत्र में आर0एम0सी0 प्लान्ट के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्राम रायपुर खादर के पास डूब क्षेत्र में वृहद स्तर पर आर0एम0सी0 प्लान्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपके अधीन अधिसूचित क्षेत्र में आता है। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के क्रम में उक्त क्षेत्र को हरित रखा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण को शीघ्र ही रूकवाने/ हटाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर से अपेक्षित सहयोग आवश्यक हो तो कृपया अवगत कराना चाहें। अवैध निर्माण से संबंधित फोटोग्राफ्स संलग्नक है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक– 5042/हैवखं/तद्दिनांक 8/11/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 532/स0अ0तृतीय दिनांक 06.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

8/11/2023

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

संलग्नक - 5

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली–25

प्रेषित,

अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग खण्ड
जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 22 / 11 / 2023

पत्रांक 5189 /हैवखं/

विषय–स्टोन क्रेशर प्लान्ट में अवैध रूप से बोरिंग कर भू–जल का उपयोग करने के संदर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सैक्टर–94 नोएडा (ग्राम असगरपुर) के निकट यमुना नदी व बन्ध सड़क के बीच यमुना नदी के डूब क्षेत्र में वृहद स्तर पर स्टोन क्रशिंग कर Sand बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी धुलाई हेतु बोरिंग कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भू–जल का उपयोग किया जा रहा है तथा गन्दे जल को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध भू–जल दोहन के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25
18/11/2023

पत्रांक– 5189 /हैवखं/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 545/स0अ0तृतीय दिनांक 18.11.2023के संदर्भ में।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25
18/11/2023

(संलग्नक -5)

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सैक्टर–6, जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /है0व0खं0/ दिनांक 2022

विषय– जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के राजस्व कर्मियों द्वारा दिनांक 03.01.2024 को यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र के निरीक्षण में पाया गया कि बन्ध व नदी के मध्य ग्राम नगला नगली, वाजिदपुर, असदुल्लापुर, चकबसन्तपुर, चकमगरौला आदि तहसील सदर जनपद गौतमबुद्धनगर में अवैध फार्म हाउसों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवैध निर्माण कर्ताओं को अवैध निर्माण को रोकने हेतु कहा गया और यह भी अवगत कराया गया कि 1471बी–27–सिं–2–181/बाढ़/09 दिनांक 16.3.2010 व मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 89/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 20.05.013 को दिये गये आदेशानुसार डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इन अवैध निर्माण कार्यो के विरूद्ध प्राधिकरण व सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उक्त ग्राम प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित है। अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो को रूकवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो पर रोक लग सके, तथा मा0 न्यायालय के आदेशों पालना सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर से अपेक्षित सहयोग आवश्यक हो तो कृपया अवगत कराना चाहें। अवैध निर्माण कार्यो से संबंधित फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक– 201 /हैवखं/तद्दिनांक 10-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 22/स0अ0तृतीय दिनांक 22.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

10/01/2024

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

निलयक-5

सहायक अभियंता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

थानाध्यक्ष,
सैक्टर–126 (नोएडा)
जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक–372 /स0अ0तृतीय/ दिनांकः 20/07/ /2023

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक 208/स0अ0तृतीय/ दिनांक 12.04.2023

विषय– यमुना मार्जिनल तटबन्ध व यमुना नदी के मध्य अवैध रूप से डूब क्षेत्र में रोडी, बदरपुर, पत्थर आदि की पिसाई/धुलाई कर गन्दा पानी यमुना नदी में डालने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र में अवैध रोडी, बदरपुर की पिसाई/धुलाई के रूप हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु संबंधित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर शीघ्र ही कार्यवाही हेतु लिखा गया था, लेकिन दिनांक 14.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन अधिकारी द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में भी यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र के ग्राम नौरंगाबाद खादर व ग्राम असगरपुर में अभी भी अवैध रूप से रोडी, बदरपुर, पत्थर आदि की क्रेसर द्वारा पिसाई/धुलाई कर गन्दा पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अभी तक इन अवैध गतिविधिकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों के विपरीत है। दिनांक 14.07.2023 को दी गई तहरीर की छायाप्रति संलग्न है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार यमुना नदी में गन्दा पानी डालना एवं निर्माण कार्य करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त ग्रामों में उपरोक्तानुसार हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु संबंधित के विरूद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

20/07/2023

सहायक अभियंता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक 372/स0अ0तृतीय/तद्दिनांक 20/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक पुलिस आयुक्त, थाना सैक्टर–126 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला नई दिल्ली–25।
3. जिलेदार तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 53/ दिनांक 18.07.2023 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संबंधित थाने से सम्पर्क कर तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियंता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

20/07/2023

संलग्नक-5

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

थानाध्यक्ष,
थाना सैक्टर–126 नोएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 206 /स0अ0तृतीय दिनांक 12/04/ 2023

विषय– यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र में अवैध रोडी, बदरपुर की पिसाई/धुलाई के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के राजस्व स्टाफ द्वारा दिनांक 10.04.2023 को यमुना तटवर्ती बन्ध व डूब क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि ग्राम नौरंगाबाद खादर (शमशान घाट के पास) व ग्राम असगरपुर के सामने बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र में अवैध रूप से रोड़ी, बदरपुर की घिसाई/धुलाई कर गन्दा पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है, जिससे कि नदी प्रदूषित हो रही है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश 89/2013 दिनांक 20.05.2013 में दिये गये निर्देशानुसार डूब क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पूर्णतया प्रतिबन्धित है, के संबंध में मौके पर अवैध गतिविधि कर्ताओं को जानकारी देने के बाद भी उनके द्वारा लगातार इस प्रकार की अवैध गतिविधि की जा रही है, जो कि मा0 न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। उक्त अवैध गतिविधि के विरूद्ध इस कार्यालय के जिलेदार तृतीय द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 11.04.2023 तहरीर दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु संबंधित के खिलाफ एफ0आई0आर0दर्ज कर शीघ्र ही कार्यवाही करने कष्ट करें, जिससे मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25
12/04/2023

पत्रांक 206/स0अ0तृतीय/दिनांक 12/04/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली–25।
2. जिलेदार–तृतीय हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला नई दिल्ली को उनके पत्रांक 26/ दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में।

सहायक अभियन्ता–तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25
12/04/2023